

मुख्यमंत्री जन-वन योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना) अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु
अनुबंध पत्र

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी सूचनायें सत्य हैं। पौधे आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधारोपण करूँगा/करूँगी एवं वन विभाग के सभी निर्देशों का अनुपालन करूँगा/ करूँगी। यदि ऊपर में दी गयी सभी जानकारी/ कालान्तर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होती है, तो इसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस योजना की सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं इस योजना के अन्तर्गत रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करूँगा/करूँगी तथा परिपक्वता से पहले एवं वन विभाग की अनुमति के बिना इन वृक्षों को नहीं काटूँगा/काटूँगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम